निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 23 / 2018 तारीख दायरा 02.02.2018

उनवान

1. हरिप्रसाद पुत्र श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
2. सात्रित्रीबाई पुत्री श्री छीतरलाल पत्नी जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम धतूरिया तह. अन्ता।
3. आशाबाई पुत्री श्री छीतरलाल पत्नी देवेन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. सीताबाई पत्नी श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
2. प्रेमशंकर पुत्र श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
3. गिरिराज पुत्र श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या, तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबंधक सांगोद, जिला कोटा।
5. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,8[illegible]र.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :— [illegible] :— 03.03.2021

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादी)

——निर्णय——

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी कं. 1 वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता तथा वादिनी सं. 4 के पति हैं तथा प्रतिवादी कं. 2, 3 वादीगण सगे भाई हैं। इस प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं जो हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनका पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार से है :—

स्व.नाथूलाल

स्व.गजानंद — स्व.रामनारायण

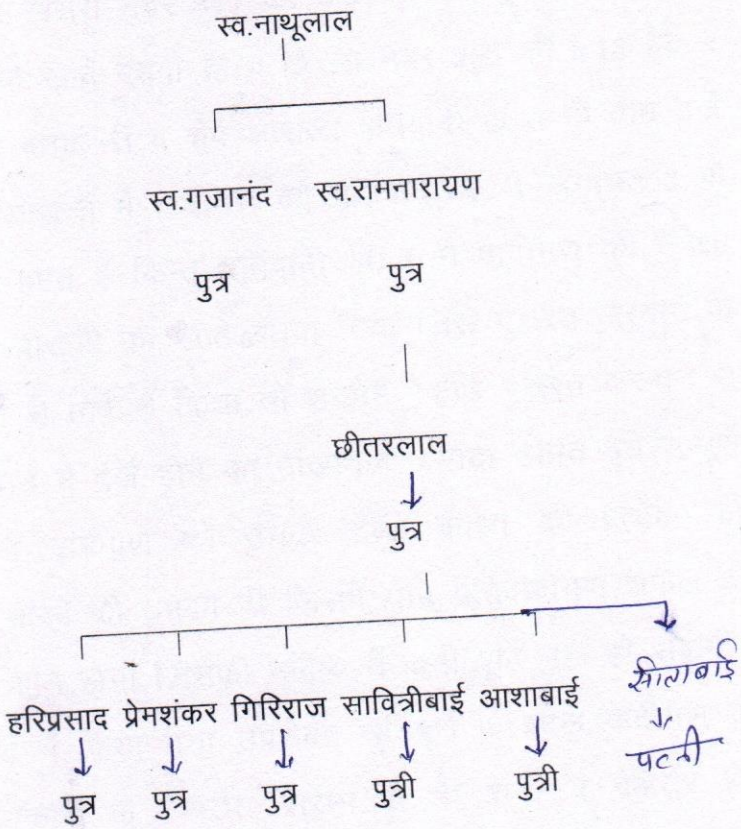

पुत्र — पुत्र

छीतरलाल

पुत्र

हरिप्रसाद, प्रेमशंकर, गिरिराज, सावित्रीबाई, आशाबाई, सीताबाई

पुत्र, पुत्र, पुत्र, पुत्री, पुत्री, पत्नी

वादीगण ने वाद में यह भी अंकित किया है कि वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 को अपने पूर्वज अर्थात् पूर्वखातेदार स्वर्गीय श्री रामनारायण पुत्र श्री नाथूलाल जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हाल खसरा नंबर 57 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 250/527 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 250 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर [illegible] 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 312 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 394 रकबा 4.40 हैक्टर, खसरा नंबर 406 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 411 रकबा 8.34 हैक्टर पुश्तैनी आराजी माल ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 को अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी आराजी हैं जिसमें वादीगण को जन्मजात अधिकार प्राप्त होने ... प्रतिवादी सं. 2, 3 को वादग्रस्त आराजी में अपने पिता प्रतिवादी कं. 1 के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:24 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 प्रत्येक को कानूनन 1/7–1/7 हिस्सा का अधिकार प्राप्त है तथा वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 काफी वर्षों पूर्व से मौके पर 1/7–1/7 हिस्सा आराजी को काश्त भी करते चले आ रहे हैं किन्तु प्रतिवादी कं. 1 वादीगण की अपेक्षा प्रतिवादी कं. 2 लगायत 3 से अधिक लगाव रखता है जिसके चलते प्रतिवादी कं. 1 ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा नंबर 143 की 0.60 हैक्टर व खसरा नंबर 411 की 8.34 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 8.94 हैक्टर आराजी प्रतिवादी कं. 2 के खाते बंधवा दी व खसरा नंबर 250 की 8.13 हैक्टर आराजी पूर्व में ही प्रतिवादी कं. 3 के खाते बंधवा दी व शेष आराजी प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के साथ बांट–बराबर का जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं किन्तु प्रतिवादी कं. 1 ने वादीगण की उपेक्षा करके प्रतिवादी कं. 2, 3 के नाम अधिक आराजी को खाते बंधवा दिया जिसे दुरूस्त करवाने के लिए वादीगण ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो उन्होंने रेकार्ड दुरूस्त करवाने से मना कर दिया व अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने व वादीगण को उनके कब्जे काश्त की प्रत्येक की 1/7–1/7 हिस्सा आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादीगण सफल हो जाते हैं तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में किया गया उपरोक्त त्रुटिपूर्ण फेरबदल वादीगण के जन्मजात अधिकारों व काश्तकारी अधिकारों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर है। वादकारण गत सप्ताह प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को आराजी हिस्सा से बेदखल करने एवं स्वयं का नाम दर्ज होने से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 को प्रत्येक को बांट–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, विक्रय, दान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करें तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 स्वयं करें न ही अपने नौकरों, एजेन्टों से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:24 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सं ने उपस्थित होकर जवाबदावा इकबाली पेश किया गया तथा वाद वादी को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दावा वादी डिकी करने में सहमति व्यक्त की। वादीगण की पहचान वकील वादी द्वारा तथा

गया तथा तस्दीक किया गया। वकील वादी द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बहस की तथा वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 57 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 250/527 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 250 रकबा 8.13 हैक्टर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 312 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 394 रकबा 4.40 हैक्टर, खसरा नंबर 406 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 411 रकबा 8.34 हैक्टर आराजी का राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 को बांट–बराबर का अर्थात 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:32:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद